

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं

पीठासीन अधिकारी :- रामसिंह राजावत (आर.ए.एस.)
ईजराय मु न०- 29/2019, मूल वाद मु० न० 217/2004
जी सी एम एस न० 2019/00567
महादेव

दर्ज दिनांक 13.09.2019
निर्णय दिनांक 10.01.2023
मांगू जाट आदि आदि


बनाम
अंतिम निर्णय

उपर्युक्त उनवानी प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 17.06.2006 को प्राथमिक डिक्री व निर्णय पारित किया गया कि ग्राम सीथल पटवार हल्का सीथल के भूमि खसरा न० 100, 101, 102, 103, 195, 233, 397, 399, 479, 480, 481, 495, 519, 72, 74, 497, 494, 398 कुल कित्ता 18 कुल रकबा 18.60 है० भूमि का कब्जा एवं राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार विधिवत विभाजन किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार तहसीलदार उदयपुरवाटी उभयपक्षों की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार करें तथा मय नक्शा के दो प्रतियों में न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करें।


प्रकरण में इस न्यायालय के निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 17.06.2006 की पालना में तहसीलदार (भू.अ.) गुढागौड़जी से पत्र क्रमांक:- भू.अ./2022/1585 दिनांक 05.05.2022 द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ। विभाजन प्रस्ताव पर पक्षकारान की बहस श्रवण की गई। अतः उपरोक्त परिपेक्ष्य में वाद को विभाजन प्रस्ताव के अनुसार डिक्री किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतित होता है।

आदेश

वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 05.05.2022 को अंतिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 05.05.2022 मय नजरी नक्शा अंतिम निर्णय व अंतिम डिक्री का अभिन्न हिस्सा रहेगा तथा प्राथमिक डिक्री में दर्शाये गये खसरा न० तक का ही विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को आदेशित किया जाता है कि उक्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार मूल नक्शे में तरमीम की जावे व उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। अंतिम डिक्री पर्चा जारी हो।


रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

निर्णय आज दिनांक 10.01.2023 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुझुनूं
अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(आदेश 20 नियम 6 और 7)

पीठासीन अधिकारी :- रामसिंह राजावत (आर.ए.एस.)
ईजराय मु न०- 29/2019, मूल वाद मु० न० 217/2004
जी सी एम एस न० 2019/00567
महादेव

बनाम
अंतिम निर्णय
दावा विभाजन

दर्ज दिनांक 13.09.2019
निर्णय दिनांक 10.01.2023
मांगू जाट आदि आदि

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू न्यायालय उपखण्ड
अधिकारी उदयपुरवाटी ब हाजिरी उभयपक्षकारान मिनजानिब मुदई वल्द ...
-..मिनजानिब मदयलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि :-


वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 05.05.2022 को अंतिम डिक्री
किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 05.05.2022 मय नजरी नक्शा अंतिम
निर्णय व अंतिम डिक्री का अभिन्न हिस्सा रहेगा तथा प्राथमिक डिक्री में दर्शाये
गये खसरा न० तक का विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार
उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को आदेशित किया जाता है कि उक्त विभाजन
प्रस्ताव के अनुसार मूल नक्शे में तरमीम की जावे व उक्तानुसार राजस्व
रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

..... मुबलिक -.....निल..... दाबन.-.....निल.....
निज.-.....निल.....

.....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह -.....निल.....

फीसदी आज की तारीख से तारीख अदायगी तक -.....निल.....

. का अदा करे। सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 10. माह
01 सन 2023 को जारी की गई।


(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी